

164/11-12
26/08-09

कार्यालय, नगर परिषद् डुमरौव

पत्रांक:- 218

प्रेषक:-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौव

सेवा में:-

उप सचिव
नगर विकास एवं अवास विभाग
पटना ।

दिनांक:- 09.7.14

विषय:- अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार नगर परिषद् डुमरौव से संबंधित वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक करवाई हेतु भेजा जा रहा है ।

सादर सूचनार्थ ।

विश्वासभाजन

(Signature)

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद् डुमरौव

20/7/14
9/7/14

Audit Report No. 164
(2008-09) to (2009-10)

क्र०सं०	कंडिका सं०	आपत्ति	निराकरण
1	12A	कुल 27778 रुपया विविध रसीद के विरुद्ध वसूल की गयी परन्तु इस नगर परिषद फण्ड में जमा नहीं किया गया।	उक्त राशि को नगर परिषद फण्ड में जमा कराकर कैशबुक में सधारण कर लिया गया है। जिसकी पुष्टि अंकेक्षण 2010-11 से 2011-12 में कर ली गयी है।
2	B	कुल 7160 रुपया कर संग्राहक मोईन अहमद के द्वारा जमा नहीं किया गया।	उक्त राशि को मोईन अहमद से वसूल कर नगर परिषद फण्ड में जमा करा दिया गया है। जिसकी पुष्टि अंकेक्षण 2010-11 एवं 2011-12 में कर ली गई है।
3	13	कुल 245610 रुपया दिनांक 31.03.10 तक सरकारी भवनों पर गृहकर बाकी दिखाया गया है।	उक्त सरकारी भवन पर नोटिस जारी कर अधिकांश राशि जमा करा ली गई है। शेष राशि जमा कराने की प्रक्रिया जारी है।
4	14	वर्ष 2008-09 में सैरात बंदोवस्ती की गयी थी 76077 रु० की गयी थी परन्तु 48103 रुपया ही नगर परिषद फण्ड में जमा किया गया है। 27974 रु० का क्षति दिखाया गया था।	उक्त राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। 5559 रु० की वसूली हुई अस्थायी फुटपाथ बाजार की शेष राशि 19626 रुपये वसूली हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ है। ठीकेदार का दावा है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाने से फूटपाथ बाजार की वसूली नहीं हो पायी है।
5	15	2009-10 में सैरात बंदोवस्ती नहीं होने से क्षति	वर्ष 2009-10 में सैरात की बंदोवस्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद नहीं हो पायी। वसूली विभागीय स्तर पर की गयी एवं वसूल की गई राशि नगर पालिका फण्ड में जमा की गई।
6	16	270245 रुपये दिनांक 31.03.10 तक बाजार समूह के दुकानदारों पर बाकी दिखाया गया है।	243245 रुपये बकाये की राशि वसूल कर ली गयी है। शेष 27000 रुपये वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ है। जिसकी पुष्टि 2010-11 से 2011-12 के अंकेक्षण के वक्त की जा चुकी है।
7	17A	कुल 67500 रुपये विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम की गयी परन्तु अंकेक्षण तिथि तक इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	उक्त योजनाओं को पूर्ण कर अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है।

8	17B	कुल 118690 रु0 की अग्रिम विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दी गई जिसका समायोजन अंकेक्षण तिथि तक नहीं किया गया।	उक्त योजनाओं को पूर्ण कर अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है। जिसकी पुष्टि 2010-11 से 2011-12 के अंकेक्षण के वक्त की जा चुकी है।
9	17C	कुल 637565 रु0 का भुगतान विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु किया गया। अंकेक्षण तिथि तक उक्त योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका था परन्तु कार्यकारी एजेंसी द्वारा विपत्र दाखिल नहीं किया गया।	उक्त योजनाओं से संबंधित विपत्र कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसका समायोजन भी कर लिया गया था जिसकी पुष्टि अंकेक्षण 2010-11 से 2011-12 में कर ली गयी है।
10	17D	5990 रु0 का अतिरिक्त भुगतान 12वाँ वित्त आयोग सम्पादित योजना में दी गयी है।	उक्त राशि की रिकभरी कर ली गयी है।
11	18	कुल 846080 रु0 के विपत्र पर आपति दर्ज किया गया है। अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि के विरुद्ध जो विपत्र दिया गया है वह बिना सिरीयल नम्बर तिथि, दुकानदार का हस्ताक्षर कार्यकारी एजेंसी का हस्ताक्षर एवं वैट रजिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं किया गया है।	ये सारे विपत्र योजना से संबंधित थे। इन सारी योजनाओं का कार्य मूल्यांकन कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त पर दर्ज किया गया है। जिसकी पुष्टि सहायक अभियंता द्वारा की गयी थी। स्थल पर योजना कार्यान्वित भी हुई तदुपरांत उक्त राशि का भुगतान किया गया। प्रत्येक विपत्र से संबंधित राशि पर वैट कटौती कर ली गयी थी।
12	20A	11वाँ वित्त आयोग की राशि से हैण्ड पम्प लगाया गया मास्टर रोल में कुल 6 मजदूर को दिया गया परन्तु भुगतान के समय मात्र 5 मजदूर का ही अगुँठे का निशान लिया गया। इस प्रकार कुल 4692 रु0 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।	यह लिपिकीय भूल है। चापाकल से भी संबंधित सारे मापपुस्त पर दर्ज राशि से अधिक भुगतान नहीं हुआ है। माप पुस्त कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के M.B संधारण के बाद ही की गयी है।

13	21	कुल 555816 रु0 का भुगतान दैनिक मजदूर एवं कन्टेक्ट मजदूर के पारिश्रमिक के रूप में किया गया।	नगर परिषद में घटते सफाई कर्मों की संख्या के चलते जनहित में सफाई कार्य कराने हेतु सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप ही दैनिक मजदूर एवं कन्टेक्ट मजदूर बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में रखे गये एवं कराये गये कार्य के विरुद्ध दैनिक मजदूरी पर उक्त राशि खर्च की गयी।
14	22	कुल 621726 रु0 का विपत्र अंकेक्षण तिथि के समय उपलब्ध नहीं कराया गया।	समयाभाव के चलते उक्त राशि से संबंधित विपत्रों का अवलोकन अंकेक्षण तिथि तक नहीं कराया जा सका। उक्त राशि का विपत्र अंकेक्षण दल 2010-11 एवं 2011-12 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी पुष्टि हो चुकी है।
15	23	कुल 958481 का अग्रिम पर आपत्ति	यह राशि अग्रिम के रूप में योजनाओं के सम्पादन एवं सफाई कार्य में निष्पादन हेतु दी गयी थी। जिसका समायोजन कर लिया गया है। जिसे अंकेक्षण 2010-11 एवं 2011-12 में सम्पुष्ट कर लिया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, डुमराँव

3/11/14
9/7/14

Audit Report No. 476 /08-09
2006-2007, 2007-2008

1. पारा 6- अंकेक्षण में पाया गया कैश बुक को मेन्टेन नहीं किया गया है ।
कैश बुक मेन्टेन कर लिया गया है ।
2. पारा 8- कैश बुक में अनिमितता पायी गयी ।
कैश बुक में कोई अनियमितता नहीं है । अनियमितता दूर कर लिया गया है । कैश बुक का संधारण सही तरिके से किया जा रहा है ।
3. पारा 12 (i)
4. 12 (ii) 31000 रूपये नगर परिषद् खाता में जमा नहीं कर इसे डाइरेक्ट बिना भाउचर पास कराये पेलोडर मरम्मत में खर्च कर दिया गया ।
31000 रूपये का भाउचर प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि का समायोजन कर लिया गया है । भविष्य में इस तरह की पुरावृति नहीं होगी ।
5. पारा 13:- 2,64,333/- रूपये को कैसियर कैस बुक में संधारण नहीं किया गया है ।
उक्त राशि सहायक कैस बुक संधारित है । कैसियर कैस बुक में केवल अपने स्रोत की राशि को संधारित किया जाता है ।
6. पारा 17:- शिक्षा कर स्वास्थ्य कर 50% लेना था परन्तु 40% लिया गया ।
स्पष्ट पत्र नहीं होने के चलते 40% वसूली हो रही थी । अंकेक्षण दल का निदेश प्राप्त होते ही 50% वसूली शुरू की दी गई ।
7. पारा 19(i):- 65638/- विविध रसीद से काटा गया था परन्तु इसे नगर परिषद् कोष में जमा नहीं किया गया ।
उक्त बिन्दु पर उठायी गई आपत्ति का निराकरण कर दिया गया जिसकी सम्पुष्टि वर्ष 2008-2009 के अंकेक्षण में कर ली गई है ।
8. ----19(ii):- 16349/- नगर परिषद् कोष में जमा नहीं किया गया है ।
उक्त राशि जमा करा ली गयी है । जिसकी सम्पुष्टि वर्ष 2008-2009 के अंकेक्षण में कर ली गयी है ।
9. ----19(iii):- 19000/- रूपये की राशि खतरनाक तिजारत मद के विरुद्ध वसूल की गयी थी ।
उक्त राशि नगर परिषद् कोष में जमा कर दी गई है । जिसकी सम्पुष्टि वर्ष 2008-2009 के अंकेक्षण में कर ली गयी है ।

10. पारा 21(A)(i):- 31720/- विभिन्न प्रकार के ठीकेदारों द्वारा वसूल कर नगर परिषद् कोष में जमा नहीं किया गया ।

उक्त राशि को जमा करा लिया गया है । जो 2008-2009 के अंकेक्षण में सम्पुष्टि है ।

11. ---21(A)(ii):- 16349/- वधशाला बन्दोवस्ती 2001 से 2005 तक कुल 5300 जमा नहीं कराया गया है ।

राशि जमा करा ली गयी थी वर्ष 2008-2009 के अंकेक्षण में सम्पुष्टि कर लिया गया है ।

12. ---21(A)(iii):- वर्ष 2002-2003 एवं 2004-05 में तीन टीकट की बन्दोवस्ती की गई थी कुल 11150/- जमा नहीं किया गया है ।

राशि जमा करा दी गई है । जिसकी सम्पुष्टि 2008-09 के अंकेक्षण में सम्पुष्टि करा लिया गया है ।

11. ---21(B)(ii):- वर्ष 2007 एवं 2008 में कुल 34600/- रुपये में शैरात की बन्दोवस्ती की गई थी किन्तु 29900/- रुपये ही नगर परिषद् कोष में जमा कराया गया कुल 4700/- रू० की क्षति दिखायी गयी है ।

उक्त राशि को जमा करा लिया गया है जिसकी सम्पुष्टि 2008-2009 के अंकेक्षण में कर ली गई थी ।

21.-- B(iii):- वर्ष 2007-2008 में तीन टीमर की बन्दोवस्ती नहीं होने के चलते कुल 11100.00 का क्षति दिखाया गया है ।

बन्दोवस्ती की प्रक्रिया अपनायी गयी थी कोई बन्दोवस्ती नहीं हो पायी कर्मचारियों के कमी के चलते विभागीय वसूली नहीं हो पायी ।

12.-- (23):- श्री रामनारायण संवेदक के द्वारा 19 दिन के लिए पेलोडर का इस्तेमाल किया गया 2000.00 प्रति दिन के हिसाब से कुल 38000.00 जमा किया जाना था परन्तु रसीद सं 4425 14.03.06 के माध्यम 31000.00 ही जमा किया गया शेष 7000.00 का राशि दिखाया गया है ।

शेष राशि जमा करा ली गयी है ।

13.--(25)(ii):- अंकेक्षण प्रतिवेदन में 1018271 होल्डिंग टैक्स सरकारी विल्डिंग पर बकाया दिखाया गया है ।

अधिकांश राशि सरकारी भवनो से प्राप्त हुई है । जो राशि बकाया है वसूली हेतु प्रक्रिया वर्षवार जारी है ।

14.--(26):- अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुल 82131.00 रुपया बाजार समुह में दुकानदारों पर दुकान किराया के रूप में बाकी दिखाया गया है।

उक्त राशि बकाया नहीं है वसूल कर लिया गया है।

15.--(30):- वर्ष 2006-2007- 2007-2008 में कुल 1,33441.00 रुपये का भुगतान कैजुअल स्टाफ एवं दैनिक मजदूर को किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में इसे नियम विरुद्ध बताया गया।

सरकारी निर्देशानुसार दैनिक सफाई मजदूर एवं कैजुअल स्टाफ को बोर्ड के पारित प्रस्ताव के आलोक में रख कर उक्त राशि का भुगतान सरकार के दिशानिर्देश के अनुरूप ही की गयी थी।

16.--(31):- दिनांक 20.10.2006 को चेक नं० 736920 के माध्यम से 1093288 को निकासी सेलरी भुगतान हेतु की गई थी जिसमें से 1009973.00 रुपये का भुगतान हेतु सेलरी में किया गया एवं 14069 रुपये एवं 1260 का भुगतान डेली बेजेज एवं विविध में किया गया कुल 1025302.00 रुपये का संधारण कैश बुक में किया गया है। परन्तु 67986.00 रुपये का कोई ट्रेस नहीं है। इसी तरह चेक सं० 736953 के माध्यम से 590782.00 का निकासी सेलरी भुगतान के लिए की गयी कैशबुक में केवल 581541.00 रुपये का ही संधारण किया गया शेष 9241.00 रुपये का कोई विपत्र नहीं है।

कुल 77227.00 का विपत्र प्राप्त कर कैशबुक संधारण कर लिया गया है। वर्ष 2008-09 से 2009-10 में इसका सम्पुष्टि करा ली गई है।

17.--(31)(i):- अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार नास्ट रोल में दर्ज मजदूर को एक ही काम के लिए दोवार भुगतान किया गया है। जिसमें कुल 21720.00 रुपये की अनियमितता दिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त कुल 25,1539.00 रुपये का ईट सिमेन्ट एवं सोन का बालू योजना के कार्य हेतु खरीदा गया था इस संदर्भ में जो विपत्र दिया गया इसमें क्रय तिथि नहीं है, कैश मेमो नहीं है। भाउचर नम्बर नहीं है डीलर का हस्कर एवं तिथि नहीं है। साथ ही 3731.00 रुपये भुगतान मजदूर को मास्टर रोल पर किया गया उसका अंगुठे का निशान नहीं लिया गया। इस तरह कुल 277039.00 की अनियमितता दिखायी गयी है।

कार्य का मुल्यांकन माप पुस्त पर कनीय अभियंता के द्वारा दर्ज किया गया जिसका सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा की गयी माप पुस्त पर किये गया मुल्यांकन के विरुद्ध ही भुगतान हुआ है। जहाँ तक मास्टर रोल एवं विपत्र में जो अनियमितता पायी गयी उसका सुधार अभिकर्ता द्वारा कराया जा चुका है।

18.--(32)(ii):- अंकेक्षण प्रतिवेदन मे कुल 28282.00 का अनियमितता दिखाया गया है। जो इस प्रकार है।

- (i) 25650.00 का भुगतान मास्टर रोल मे दर्ज एक ही मजदुर को दो बार किया गया है।
- (ii) 1140.00 का विपत्र दिया गया है। परन्तु इस पर डीलर का हस्ताक्षर एवं क्रम तिथि अंकित नहीं है।
- (iii) 494.00 बैग सिमेन्ट की खरीददारी की गयी थी एक खाली बैग का मुल्य 3.00 निर्धारित किया गया था अतः 1492 रुपया नगर परिषद् मे जमा किया जाना चाहिए था जो जमा नहीं किया गया।

कार्य का मुल्यांकन माप पुस्त कर कनीय अभियंता द्वारा दर्ज किया गया जिसका सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा किया गया। माप पुस्त पर किये गये मुल्यांकन के बिरुद्ध ही भुगतान किया गया। लिपिकीय भुल वश मास्टर रोल मे एक ही तिथि दर्ज होने का निराकरण कर लिया गया। जहाँ तक सिमेन्ट बैग की राशि जमा करने का प्रश्न है। इसका जिक्र प्राक्कलन मे नहीं था न कोई ऐसा पूर्व से निर्देश प्राप्त था।

19.--(33) अंकेक्षण प्रतिवेदन मे कुल 11,77771.00 राशि का भाउचर प्राप्त नहीं होने की आपत्ति करायी गयी थी। समयाभाव मे भाउचर उपस्थापित नहीं हो पाया। 1177771.00 की राशि का विपत्र अंकेक्षण 2008-2009 - 2009- 2010 मे अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया। आपत्ति अप्राप्त है।

9/11

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद्, डुमरौव

3/11/14
9/11/14